प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.05.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.03.2024 को थाना अंकुर विहार पर आवेदक श्री सूरज पुत्र श्री मनोज निवासी गंगा विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद की तहरीर अभियुक्त दीन दयाल शर्मा उर्फ डीडी शर्मा व अन्य साथियों के द्वारा फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके वादी से नौकरी लगाने के नाम पर 08 लाख रुपये ले लेना तथा मांगने पर वापस न करने के सम्बन्ध में दी गई, जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम लगाई गई। तत्पश्चात आज दिनांक 03.05.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त दीन दयाल शर्मा उर्फ डीडी शर्मा पुत्र गंगा सहाय शर्मा निवासी डी-2 म0नं0 98 डी मयूर विहार फेस थर्ड थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 47 वर्ष को सीमेन्ट रोड कट डीएलएफ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

दीन दयाल शर्मा उर्फ डीडी शर्मा पुत्र गंगा सहाय शर्मा निवासी डी-2 म0नं0 98 डी मयूर विहार फेस थर्ड थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 47 वर्ष ।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धोखाधड़ी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

क्राइम ब्रान्च द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 4 करोड रूपये का माल व चोरी करने मे प्रयुक्त उपकरण बरामद।

दिनाँक-03/05/2024 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में जियो व एअरटेल के मोबाइल टावरों से बैट्री,

आर0आर0 यूनिट व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले शातिर अपराधियों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्तों को थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से जियो व एअरटेल कम्पनी के रेडियो रिसीवर यूनिट, मोबाइल टावरों की बैट्रियाँ, मोबाइल टावर ड्यूप्लैक्सर, आई0डी0यू0, बी0बी0यू0, ओ0डी0यू0 व इलैक्ट्रोनिक डिवाईसेस तथा चोरी करने में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण व घटना करने में प्रयुक्त होण्डा सिटी कार व टाटा मैजिक (छोटा हाथी) गाडी बरामद हुई।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त **कैफ मलिक** ने बताया कि उसने 02 वर्ष पूर्व बी0ए0 प्रथम वर्ष में पढाई छोड दी थी और अपने पिता फुरकान मलिक के साथ उनकी मुस्तफाबाद दिल्ली स्थित कबाड की दुकान पर काम करना शुरू किया वहाँ वह शुएब से मिला जिसने उसे मोबाइल टावरों से चोरी की आर0आर0यू0 व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस को बेचने के लिए कहा और यह भी कहा इस काम में लाखों का फायदा है कैफ ने मार्केट मे पता करके जावेद से सम्पर्क किया जब माल लेने व देने की पूरी बात हो गयी तो इन लोगों ने मिलकर एक गिरोह बनाया जिसमे चोरी करने के लिए सुहेल मलिक, वसीम, अल्ताफ व जुबैर तथा मोबाइल टावरों के मेन्टिनेन्स करने वाले इंजीनियर राहुल गोयल इनसे चोरी का माल लेकर कैफ मलिक, सुमित कसाना, मेरठ के नईम व दिल्ली के मेहराजुद्दीन के माध्यम से मुस्तफाबाद दिल्ली के जावेद व उसके भाई वसीम को बेच देते थे पकडे गये **दूसरे अभियुक्त सुमित कसाना** ने बताया वह बी0ए0 पास है 04 साल पुलिस मे भर्ती की तैयारी की फिर दिल्ली मे क्लब में बाऊन्सर / सिक्योरिटी की नौकरी करने लगा क्लब मे ही उसे जावेद मिला जिसने उसे अपने पास कबाड के काम के लिए रख लिया वह पिछले 04 वर्षो से जावेद के लिए काम करता है और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है जिसके उसे 5-10 हजार रू0 प्रति चक्कर अलग से मिलते है। **तीसरे अभियुक्त राहुल गोयल** ने बताया कि उसने रूडकी से बी.टेक. किया है उसका प्लेसमेन्ट नही हुआ तो प्राईवेट कम्पनियों में काम करने लगा वर्तमान समय मे वह सार टेली कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड में बतौर मैनेजर 04 वर्षो से काम कर रहा है यह कम्पनी मोबाइल टावर के मेन्टिनेंन का काम करती है पिछले कुछ समय से उसने पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान के ऑपरेशन व मेन्टिनेन्स स्टॉफ से मिलकर आर0आर0यू0 की चोरी कराकर सुहेल, जुबैर, वसीम, कैफ को देकर लाभ कमा रहा है। **चौथे अभियुक्त शुएब मलिक** ने पूछने पर बताया कि वह 12वीं पास है और मुस्तफाबाद मे उसका कास्मैटिक का होलसेल का काम है वह सुहेल व कैफ को जानता था उनके कहने पर वह आर0आर0यू0 को खरीदने व बेचने का काम करने लगा। **पाँचवा अभियुक्त सुहेल मलिक** ने पूछने पर बताया कि वह 12 वीं तक पढा हुआ है पहले वह दूध का काम करता था फिर मुस्तफाबाद मे कबाडे का काम करने लगा वहीं उसकी मुलाकात वसीम अलवी, अल्ताफ, जुबैर, शुएब व कैफ से हुई जिन्होनें उसे मोबाइल टावर से उपकरण चुराने वे बेचने मे शामिल कर लिया। **छठे अभियुक्त वसीम अलवी** ने पूछने पर बताया वह 12वीं तक पढा है उसके पिता की सोरखा नोएडा सैक्टर 113 मे कबाडे की दुकान है वह भी कबाड की फेरी करने लगा उसकी मुलाकात सुहेल मलिक से हुई जिसने उसे मोबाइल टावर के आर0आर0यू0 व अन्य उपकरण की चोरी व उसमे काफी लाभ होने की बात बतायी । सभी अभियुक्तों ने पूछने पर बताया पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है और इनको चुराना काफी आसान होता है और इसकों ट्राँन्सपोर्ट करने में कोई समझ भी नही पाता हैं। पहले हम लोग अलग-अलग चोरी की आर0आर0यू0 का काम करते थे। फिर हमनें मिलकर अपना एक संगठित गिरोह बना लिया । हमारे गिरोह मे कैफ, सुमित कसाना, राहुल गोयल, शुएब मलिक, वसीम अलवी, सुहेल मलिक, जुबैर, अल्ताफ, नईम, मेहराजुद्दीन, जावेद व उसका भाई वसीम शामिल है। हमारे गिरोह के सुहेल मलिक, वसीम अलवी, जुबैर व अल्ताफ दिल्ली एन0सी0आर0 मे दिन में कबाडे की फेरी करके कबाडे का काम करते है और जिस मोबाइल टावर से इनको चोरी करनी होती है उसको ये लोग दिन के समय ही कबाडे की फेरी करते हुए चिन्हित कर लेते है घटना स्थल पर जाने के लिए गाडी का इन्तजाम सुहेल करता है रात्रि के समय मे उस गाडी से ये लोग चिन्हित किये गये टावर पर पहुँच जाते है और इनके दो-तीन साथी मोबाइल टावर पर चढ जाते है और औजारों की मदद से उसमे लगे रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती

उपकरण चोरी कर लेते है, चोरी करने के बाद चोरी किया सामान ये लोग उसी गाडी मे रखकर फरार हो जाते है। राहुल इन लोगो को सभी उपकरणों के बारे मे बताता है कि कौन सा उपकरण क्या है और कितना मँहगा है। चोरी किये गये माल को बेचने के लिए कैफ, शुएब, सुमित, नईम, मेहराजुद्दीन उस माल को जावेद व उसके भाई वसीम को पहुँचाते है। माल बेचने के बाद जो रूपये मिलते है उसको ये लोग आपस मे बाँट लेते है। माल को इकट्ठा होने बाद गाडी का इन्तजाम मेहराजुद्दीन करता है अपने-अपने हिस्से मे आये रूपयो से ये लोग अपने शौक व खर्चे पूरे करते है।

पूछताछ करने पर पकडे गये अपराधियों ने यह भी बताया कि इन लोगो ने पश्चिमी बंगाल, बिहार महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी किये है। पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.कैफ मलिक पुत्र फुरकान निवासी बी-451 गली नम्बर-04 मुस्तफाबाद दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष (कबाडी)

2.सुमित कसाना पुत्र महेश कसाना निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चाँदी नगर जनपद-बागपत उम्र करीब 30 वर्ष (कबाडी)

3.राहुल गोयल पुत्र राम गोपाल गोयल निवासी ग्राम ताँसीपुर थाना मंगलौर जनपद-हरिद्वारा उत्तराखण्ड उम्र करीब 33 वर्ष (इंजिनियर)

4.शुएब पुत्र सगीर निवासी बी-129 गली न0-04 मुस्तफाबाद दिल्ली (कबाडी)

5.सुहेल मलिक पुत्र महबूब मलिक निवासी ग्राम डाहर थाना सरूरपुर मेरठ हाल पता गली न0-03 मुस्तफाबाद दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष (चोर)

6.वसीम अलवी पुत्र मुस्तकीम निवासी मौहल्ला पठानान कस्बाव थाना मुरादनगर उम्र करीब 28 वर्ष। (चोर)

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-51 अदद

2.मोबाइल टावर बैट्री -08 अदद

3.मोबाइल टावर ड्यूप्लेक्सर-30 अदद

4.मोबाइल टावर आ0डी0यू0 (इन्डोर यूनिट) -02 अदद

5.मोबाइल टावर बी0बी0यू0 (बेस बैन्ड यूनिट) - 03 अदद

6.मोबाइल टावर ओ0डी0यू0 (आउटर यूनिट) -01 अदद

7.ग्राईन्डर मशीन मय बैट्री- 01 अदद

8.ग्राईन्डर मशीन प्लेट- 03 अदद

9.फोल्डिंग सीढी- 01 अदद

10.प्लास- 01 अदद

11.रिन्च बडे व छोटे - 02 अदद

12.वायर कटर – 01 अदद

13.घटना करने प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार रंग लाल बिना नम्बर व 01 टाटा मैजिक (छोटा हाथी)

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त कैफ मलिक के विरूद्ध दिल्ली में 02 व गाजियाबाद मे 01 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त सुमित कासाना के विरूद्ध दिल्ली में 02 व गाजियाबाद मे 01 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
3.अभियुक्त राहुल गोयल के विरूद्ध दिल्ली में 01 व गाजियाबाद मे 01 कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।
4.अभियुक्त शुएब मलिक के विरूद्ध दिल्ली में 01 व गाजियाबाद मे 01 कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।
5.अभियुक्त सुहेल मलिक के विरूद्ध दिल्ली में 07, अलीगढ में 01, मु0नगर में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 11 अभियोग पंजीकृत है।
6.अभियुक्त वसीमं अलवी के विरूद्ध दिल्ली में 07, अलीगढ में 01, मु0नगर में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 11 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कौशांबी पुलिस टीम द्वारा पोक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.04.2024 थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया घर का सामान लेने के लिये दुकान पर गयी थी उसी समय वादिया की नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। तभी पास का रहने वाला एक लडका आकाश कमरे में घुसकर वादिया की बेटी के साथ छेडछाड करने लगा। जब वादिया घर पर पहुची तो गेट बन्द था। जव गेट खुलवाया तो पास का रहने वाला लड़का धक्का देकर भाग गया। तत्काल थाना कौशांबी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर **दिनांक 03.05.2024** को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त आकाश पुत्र पुरूषोत्तम निवासी धीरू भाई का मकान ग्राम भोवापुर थाना कौशांबी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम बढ़ौली थाना मोट जिला झांसी उम्र 26 को अपने किराये के मकान भोवापुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

आकाश पुत्र पुरूषोत्तम निवासी धीरू भाई का मकान ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम बढ़ौली थाना मोट जिला झांसी उम्र 26 बर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा लूट व चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के मोबाइल फोन बेचकर शेष बचे 2650/- रूपये व बिना नंबर प्लेट मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 19.04.2024 को वादी श्री विपिन कुमार पुत्र शैलेन्द्र यादव निवासी ग्राम बरतर पोस्ट रोन थाना अलौली जिला खगरिया बिहार द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मोटर साइकिल पर सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को गम्भीरता से लेते हुये टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 02.05.2024 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त 1. सूरज सोनी पुत्र नन्दलाल सोनी निवासी मंगल बाजार टंकी वाली गांव कडकड माडल थाना लिकरोड गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष व 2.मोहित पुत्र मोती नि0 गली नं0 1 झण्डापुर थाना लिकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को एलटा फैक्ट्री कट के पास से गिरफ्तार

किया गया। जिनके कब्जे से लूट का मोबाइल फोन बेचकर शेष बचे 2650/- रूपये व बिना नंबर प्लेट मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो नशा करने के आदि है। नशे की जरुरत को पूरा करने के लिए हम राह चलते लोगो का फोन मोटर साइकिल बदल बदलकर छीनते है और भाग जाते है। हमसे जो 2650/- रूपये बरामद हुये है। लूटे हुये मोबाइल फोन को बेचकर शेष बचे रूपये है। तथा मोटर साईकिल की नंम्बर प्लेट हटा कर लूट में प्रयोग करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. सूरज सोनी पुत्र नन्दलाल सोनी नि0 मंगल बाजार टंकी वाली गांव कडकड माडल थाना लिकरोड गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।
2. मोहित पुत्र मोती नि0 गली नं0 1 झण्डापुर थाना लिकरोड कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

- कब्जे से लूट का मोबाइल फोन बेचकर शेष बचे 2650/- रूपये व बिना नंबर प्लेट मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः

- अभियुक्त मोहित उपरोक्त के विरूद्ध थाना लिंकरोड पर एनडीपीएस के 03, चोरी के 02, लूट 01 व आबकारी एक्ट के 3 व 01 अभियोग गुण्डा एक्ट का पंजीकृत है।
- अभियुक्त सूरज उपरोक्त के विरूद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी के 04, गैंगस्टर 01. शस्त्र अधि0 01 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 02.05.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी कमलेश पजियार पुत्र राम भरोसे पजियार निवासी गली नं0 4 अर्थला गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी कि दिनांक 30.04.2024 को मेरा 4 बर्षीय नाबालिग बेटा घर के बाहर बैठा था तभी मेरे पडोसी काले व उसकी बहन वादी के बच्चे को आईसक्रीम खिलाने के बहाने बहला फुसला कर ले गये वादी के बेटे को पुलिस द्वारा बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। पडोसी व उसकी बहन के विरुध्द तथा प्रकाश में आये अभियुक्त पाल पुत्र हरिराम के विरुध्द थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार दिनांक 03.05.2024 उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण / अभियुक्ता 1. मुकेश उर्फ काले पुत्र अमर पाल उर्फ अंगरू निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष व अभियुक्ता पूनम उर्फ गंजी पुत्री अमरपाल उर्फ अमरू निवासी उपरोक्त उम्र 30 वर्ष तथा प्रकाश में आये अभियुक्त पाला पुत्र हरीराम निवासी लकड़मण्डी थाना कोतवाली किला चौक पटियाला पंजाब उम्र 45 वर्ष को मोहननगर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों व अभियुक्ता के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. मुकेश उर्फ काले पुत्र अमर पाल उर्फ अंगरू निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
2. महिला अभियुक्ता पूनम उर्फ गंजी पुत्री अमरपाल उर्फ अमरू निवासी उपरोक्त उम्र 30 वर्ष
3. पाला पुत्र हरीराम निवासी लकड़मण्डी थाना कोतवाली किला चौक पटियाला पंजाब उम्र 45 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:</u>

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व मारपीट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.04.2024 को थाना लोनी के राशिद अली गेट के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ता रोककर हत्या का प्रयास व मारपीट करने के सम्बध में सूचना प्राप्त हुई जिसमें थाना लोनी पर तत्काल वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण हेतु तत्काल पुलिस टीम गठित की गई। आज दिनांक 03.05.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त शाद उर्फ इरशाद पुत्र बाबू कुरैशी निवासी राशिद अली गेट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक अभियुक्त फिरोज पुत्र हाजी बाबू कुरैशी निवासी राशिद अली गेट थाना लोनी गाजियाबाद को पूर्व में दिनांक 01.05.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि राशिद गेट के पास रोड़ पर गाड़ी हटाने को लेकर हमारी 02 लड़कों से कहासुनी हो गई थी जिस पर मैंने अपने भाईयों व साथियों को बुला लिया था, फिर हमारे बीच मारपीट हो गई थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

शाद उर्फ इरशाद पुत्र बाबू कुरैशी निवासी राशिद अली गेट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास</u>

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग की संख्या-01

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

थाना लोनी पुलिस टीम